



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226243
CG-DL-E-30032021-226243

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943

No. 104]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

ओआई मामला सं. 03/2021

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लूरो बैकशीट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरूआत अधिसूचना।

फा. सं. 6/3/2021-डीजीटीआर.—

- रिन्यूजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे "याचिकाकर्ता" अथवा "आवेदक" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसरण में चीन जन.गण. से फ्लूरो बैकशीट (जिसे यहां "संबद्ध वस्तु" या "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "फ्लूरो बैकशीट" है। बैकशीट सोलर पी वी माड्यूल्स के विनिर्माण में प्रयुक्त एक पॉलीमर आधारित संघटक है। इसका विनिर्माण लेमिनेशन प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

जहां सोल्वेंट या एक्सट्रजन लेमिनेशन और/अथवा लिक्विड कोटिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए एक या अधिक शीटों को लेमिनेटिड/कोटिड किया जाता है। इस समय बाजार में मुख्य रूप से दो प्रकार की बैकशीट मौजूद हैं फ्लूरो और नॉन-फ्लूरो।

3. फ्लूरो बैकशीट पूरी तरह से लेमिनेटिड अथवा आंशिक/पूर्ण रूप से कोटिड हो सकती है। फ्लूरो बैकशीट विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान बैक-शीट के एयर और/अथवा सेल पक्ष पर एक फ्लूरो लेयर की लेमिनेटिंग/कोटिंग द्वारा बनाया जाता है। नॉन-फ्लूरो बैकशीट की तुलना में "फ्लूरो बैकशीट की कुछ अलग-अलग विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

क. यू वी का निर्माण करने वाले माँड्यूल के लिए उच्च सुरक्षा।

ख. हाइड्रोलाइटिक गिरावट के लिए उच्च प्रतिरोध।

ग. पिछली तरफ से माँड्यूल को साफ रखने के लिए कम गंदगी और धूल अपनाने के लिए अग्रणी।

4. फ्लूरो बैकशीट विभिन्न आकारों और रंगों में उपलब्ध है। याचिकाकर्ता विनिर्माता बाजार मांग और उपभोक्ता की जरूरत के आधार पर सभी प्रकार के बैकशीट का विनिर्माण करता है।
5. बैकशीट का प्रयोग माँड्यूल के सेवा जीवन काल के दौरान गंदगी, धूल, नमी और यू वी रेडिएशन्स से सेल्स और अन्य माँड्यूल की रक्षा करने के लिए सोलर पी वी माँड्यूल का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। माँड्यूल के आकार की समकक्ष बैकशीट की एक शीट का प्रयोग माँड्यूल के एक सेट को बनाने में किया जाता है। स्ट्रिंग के साथ जुड़े सेल को एन्कैप्सुलेंट की दो शीटों के बीच रखा जाता है जिसके पीछे बैकशीट की एक परत रखी जाती है। माँड्यूल निर्माण के दौरान इस सैंडविच की दूसरी ओर ग्लास रखा जाता है। तब इस सैंडविच को वैक्यूम के नीचे हॉट चैम्बर में रखा जाता है जहां एन्कैप्सुलेंट पिघल जाता है और माँड्यूल का निर्माण करता है। इस अर्ध-निर्मित माँड्यूल को इसके बाद फ्रेमिंग, फंक्शन बॉक्स फिक्सिंग, परीक्षण और अंत में शिपमेंट के लिए पैकिंग के अधीन गुजरना होता है।
6. आवेदक ने कहा है कि संबद्ध उत्पादों को मुख्य रूप से अध्याय शीर्ष 39 "प्लास्टिक और उससे बनी वस्तुएं" के अंतर्गत आयातित किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि संबद्ध वस्तुओं को अलग-अलग कंपनियों और अलग-अलग देशों से पृथक-पृथक कोडों के तहत आयात किया जाता है (मुख्य रूप से शीर्ष 3920 और 3921 के अंतर्गत)। प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से उत्पादन के क्षेत्र और विवाद की परिस्थितियों में प्रभावी उत्पाद विवरण पर बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदकों ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही सबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं में तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता अथवा पाटित आयातों के कार्य अथवा अंतिम प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए ए डी नियमावली के तहत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और स्थिति

8. यह आवेदन रिन्यूजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, आवेदक सहित भारत में संबद्ध वस्तु के चार उत्पादक हैं। आवेदक का दावा है कि उन्होंने परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास प्रयोजनों के लिए चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की न्यूनतम मात्रा का आयात किया है और वे चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। प्राधिकारी ने आवेदक के दावों की जांच की है और उनके द्वारा किए गए आयातों को ध्यान में रखा है। यह नोट किया गया है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों और भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और मांग की तुलना में नगण्य हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन प्रमुख समानुपात है। इसलिए, प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है। इसके अतिरिक्त, आवेदन ऊपर दी गई नियमावली के नियम 5 की शर्तों में स्थिति संबंधी मापदंड को पूरा करता है।

घ. कथित पाटन का आधार**क. सामान्य मूल्य**

9. चीन जन.गण. के लिए आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए अवश्य कहा जाए कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की क्या दशाएं मौजूद हैं। आवेदक द्वारा यह बताया गया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागतें और कीमत सूचना बाजार चालित हैं तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
10. यह नोट किया जाता है कि नियमों के अनुबंध 1 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्धारित किया गया है, जो बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देश में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर, या भारत सहित ऐसे तीसरे देश से दूसरे देशों में मूल्य है या जहां यह संभव नहीं है, भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य सहित किसी अन्य उचित आधार पर।
11. चूंकि आवेदक द्वारा न तो उचित बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का सुझाव दिया गया है और न ही किसी भी तीसरे देश बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य या निर्मित मूल्य के बारे में कोई जानकारी आसानी से उपलब्ध है, जांच शुरूआत के उद्देश्य के लिए सामान्य मूल्य का भारत में विषय वस्तुओं के उत्पादन और लाभ को उचित जोड़ के साथ-साथ सामान्य और प्रशासन खर्च की लागत के आधार पर निर्माण किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

12. प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस आयात आंकड़ों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत को परिकलित किया है। निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन संभाल, वैट (यदि कोई हो) आदि के लिए समायोजन द्वारा कारखानागत स्तर पर प्राधिकारी द्वारा परिकलित किया गया है।

ग. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखानागत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और चीन जन.गण. से पी यू सी के संबंध में महत्वपूर्ण है। इसके पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से पीयूसी संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक द्वारा उपलब्ध की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप हो रही क्षति के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं जिसके परिणामस्वरूप कुल रूप में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है, जिसके कारण घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती हुआ है। बिक्री कीमत से निम्न कीमत पर और घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप, लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में, उनके निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पाटनरोधी जांच की शुरूआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही उल्लेखनीय क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. आवेदक घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के महत्वपूर्ण पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन, और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित

पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्वारा द्वारा जांच की शुरुआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

ज. जांच की अवधि

17. वर्तमान जांच में जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2017 से मार्च 2018, अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019, अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 और जांच अवधि (पीओआई) की अवधियां शामिल होंगी।

झ. प्रक्रिया

18. नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in और dd18-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो। संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in तथा dd18-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशिकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. हितबद्ध पक्षकारों के बीच प्रतिउत्तरों/अनुरोधों को शेयर करना

32. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को गोपनीय अंश को ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

ढ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2021

OI Case No. 03/2021

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Fluoro Backsheet Originating in or exported from China PR

No. 6/3/2021-DGTR.—

1. Renewsys India Private Limited (hereinafter also referred to as the 'Petitioner' or 'Applicant') has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority') in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules') for imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Fluoro Backsheet (hereinafter referred to as the 'subject goods' or 'PUC') from China PR.

A. Product under consideration

2. The product under consideration in the present application is "Fluoro Backsheet". Backsheet is a polymer based component used in the manufacturing of solar PV modules. It is manufactured using lamination process where one or more sheets are laminated / coated using solvent or extrusion lamination and / or liquid coating technology. Currently, there are mainly two types backsheet in the market, Fluoro and non-Fluoro.
3. Fluoro Backsheet could be fully laminated or partially/fully coated. Fluoro backsheet is made by laminating/coating a Fluoro layer on the air and/or cell side of the backsheet during the manufacturing process. Few distinct properties of Fluoro backsheet over non-Fluoro backsheet are as follows.
 - a) Higher protection to the module form UV
 - b) Higher resistance to hydrolytic degradation
 - c) Low dirt and dust affinity leading it to keep modules clean form the back side.
4. Fluoro Backsheet is available in different sizes and colours. The Petitioner manufactures all forms of backsheet depending upon the market demand and the customer requirements.
5. Backsheet is used to manufacture Solar PV modules to protect cells and other module components from dirt, dust, moisture and UV radiations during the service life time of the module. One sheet of the Backsheet equal to the size of module is used in making one set of module. The cell connected with string is placed between two sheets of Encapsulant followed by a layer of the backsheet. Glass is placed on other side of the sandwich during the module making. The sandwich is then put into hot chamber under vacuum where the Encapsulant is melted and form the module. This semi-finished module is further subjected to framing, function box fixing, testing and final packing for shipments.
6. The applicant has stated that the subject products are predominantly imported under Chapter Heading 39 "Plastics and articles thereof". They have further stated that the subject goods are imported under different codes from company to company and country to country (majorly under the headings 3920 and 3921). The Authority notes that the custom classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope and the product description prevails in circumstances of conflict.

B. Like Article

7. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

C. Domestic Industry & Standing

8. The application has been filed by Renewsys India Private Limited. As per the submission of the Applicant, there are four producers of the subject goods in India including the applicant. The applicant has claimed that they have imported miniscule quantity of the subject goods from China PR for testing and R & D purposes, and they are not related to any other producer/exporter of subject goods in China PR or any importer in India. The Authority has examined the claims of the applicant and has taken note of the imports made by them. It is noted that the imports made by the applicant are insignificant in comparison to the total imports of the subject goods in India, production of subject goods in India and Demand. From the information available on record, the

Authority holds that the production of the applicant accounts for a major proportion in Indian production of the subject goods. Therefore, the Authority has considered the applicant as the Domestic Industry within the meaning of the Rule 2(b) of the Rules. Further, the application also satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

D. Basis of alleged dumping

a. Normal value

9. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market-driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to Rules.
10. It is noted that the Annexure I to the Rules prescribes for determination of the normal value inter-alia, on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India.
11. Since neither appropriate market economy third country has been suggested by applicant nor any information concerning the price or constructed value in any market economy third country is readily available, the normal value for the purpose of initiation has been constructed on the basis of cost of production of the subject goods in India and selling, general & administration expenses along with reasonable addition for profit

b. Export Price

12. The Authority has computed the export price based on DGCIS transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, credit cost, inland freight and non-refundable VAT, if applicable.

c. Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that dumping margin is above the de-minimis level and is significant in respect of the PUC from China PR. There is prima facie evidence that the PUC from subject country is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

E. Injury & Causal Link

14. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished prima facie evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping, resulting in increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption in India and price undercutting. The performance has been adversely impacted in respect of profitability and return on capital employed, as a result of increase in imports of product under consideration at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject country to justify initiation of anti-dumping investigation.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the Domestic Industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the Domestic Industry, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the Domestic Industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject country

16. The subject country for the present investigation is China PR.

H. Period of Investigation

17. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st October 2019 to 30th September 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April 2017 to March 2018, April 2018 to March 2019, April 2019 to March 2020, and the period of investigation (POI)

I. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format. The known producers/exporters in the subject country, Government of the subject country through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd15-dgtr@gov.in and dd18-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of Information on Confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
26. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Sharing of responses / submissions amongst interested parties

32. A list of interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. Non-cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority